

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
SEWA KUTIR COMPLEX, KINGSWAY CAMP, DELHI-110009.**

F.No.76(275)/PMMVY/DWCD/Vidhan Sabha/2019-20/54

Dated: 22/08/19

To

The Deputy Secretary (Question branch)
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Sectt. Delhi-110054.

Sub:- Reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 174 (asked by Shri Omprakash Sharma)

Sir,

Please find enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No.174 dt 26/08/2019 along with PDF file (asked by Shri Jarnel Singh) for further necessary action at your end.

This issues with the prior approval of competent authority.

Encl.: As Above

Yours Faithfully



S.C.Vats

Joint Director (FAS)
(S. C. VATS)
Joint Director (DOP)
Deptt. of Women & Child Development
Govt of Delhi
K.G. Marg, New Delhi-110001

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता - सेवा कुटीर परिसर, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली - 100009

अतारांकित प्रश्न संख्या- 174

दिनांक - 26-8-2019


प्रश्नकर्ता का नाम - श्री जरनैल सिंह

क्या उपमुख्यमंत्री मंत्री जी यह बताने की/कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुल कितने फ़िरम के लाभ महिलाओं व बच्चों को दिए जाते हैं,	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित लाभ महिलाओं व बच्चों को दिया जाता है; 1. विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना, 2. गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता 3. लाडली योजना, 4. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
ख) तिलक नगर विधान सभा में कुल कितने लोगों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल रहा है; उसका विस्तृत विवरण दिया जाये;	जिला कार्यालय पश्चिम द्वारा योजनाओं का विवरण, 1. 31 जुलाई 2019 तक विधवा पेंशन में तिलक नगर विधान सभा में कुल लाभार्थी 3453 हैं। 2. वित्तीय वर्ष 2015 से अबतक विधवा महिला पुत्री के सहायता हेतु तिलक नगर विधान सभा में 102 महिलाओं को लाभ मिला है। 3. लाडली योजना में विधान सभा अनुसार डाटा उपलब्ध नहीं है।
ग) किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत होती है, यदि किसी प्रकार के एफिडेविट/शपथ पत्र की जरूरत होती है तो उसकी भी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये;	विधवा महिला के पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता 1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का पांच वर्ष का प्रमाण। 2. पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र 3. पुत्री का जन्म प्रमाण-पत्र/स्कूल प्रमाण-पत्र 4. पुत्री के विवाह का कार्ड 5. बैंक पासबुक 6. आवेदन पत्र स्थानीय सांसद या विधायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। लाडली योजना में जन्म के समय पंजीकरण हेतु 1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का प्रमाण। 2. बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण-पत्र। 3. प्रार्थना-पत्र पर माता-पिता व बालिका का संयुक्त फोटो। 4. माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र/स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र 5. माता-पिता व बालिका के आधार कार्ड एवं उसके आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें। किसी भी योजना में एफिडेविट / शपथ पत्र की जरूरत नहीं होती है।

22/08/19
DD (FAS)
Dept. of Woman & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

<p>म) 01-01-2018 से अब तक अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं.</p>	क्रम सं	योजना	कुल आवेदन	
	1	लाइली योजना	65188	
	2	विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना	66809	
	3	गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता	6297	
<p>इ) उसमें से कितने स्वीकृत व कितने अस्वीकृत किये गये हैं; उसकी विस्तृत जानकारी कारण सहित दें.</p>	क्रम सं	योजना	स्वीकृत	अस्वीकृत
	1	लाइली योजना	60903	1152
	2	विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना	48814	6044
	3	गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता	4732	1109
<p>च) क्या किसी आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक को उसकी गलती सुधारने के लिए कुछ समय दिया जाता है.</p>	<p>लाइली योजना एवं महिला के पुत्री विवाह हेतु योजना के आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक को उसकी गलती सुधारने के लिए समय दिया जाता है, online विधवा पेंशन अस्वीकृत करने से पहले आवेदकों को उनकी गलती सुधारने के लिए समय दिया जाता है।</p>			
<p>छ) यदि हाँ, उसकी प्रक्रिया क्या है; और</p>	<p>दूरभाष के माध्यम से व पत्र प्रेषित किया जाता है एवं online प्रक्रिया में automatic sms का प्रावधान है, उन्हें phone द्वारा भी सूचित किया जाता है।</p>			
<p>ज) यदि नहीं तो उसका क्या कारण है.</p>	<p>कृप्या उपरोक्त देखें।</p>			


 24/08/19
DD (FAS)
Dept. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi